UPBJ010029872015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

सत्र परीक्षण संख्याः– 562/2015

उ0प्र0 राज्य बनाम सद्दाम आदि
मुकदमा अपराध संख्या– 97/2015
धारा– 302,307,506 भा0दं0सं0
थाना– शेरकोट, जिला बिजनौर।

दिनाँक 26–11–2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 नियत है। अभियुक्त अशोक कुमार सैनी जेल से जरिये वी0सी0 उपस्थित है, अभियुक्तगण रामफूल व दीपक जेरे जमानत उपस्थित आये। अभियुक्त सद्दाम की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, आज के लिये स्वीकृत।

अभियुक्त सद्दाम की ओर से साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह को जिरह हेतु रिकॉल किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिक्तागण को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334

अभियुक्त सद्दाम की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह को जिरह हेतु रिकॉल किये जाने के आशय से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त है। उपरोक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3, पी0डब्लू0–4, पी0डब्लू0–7, पी0डब्लू0–8 एवं पी0डब्लू0–10 से प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की जा चुकी है, किन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता की तबियत खराब होने की वजह से प्रार्थी के अधिवक्ता के समक्ष विषम परिस्थिति होने के कारण प्रार्थी के अधिवक्ता साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह से जिरह नहीं कर पाये थे। जिरह न होने की स्थिति में प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त गवाहान से जिरह होना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायहित में उपरोक्त गवाहान साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह को वास्ते जिरह हेतु तलब किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समस्त आदेशों एवं शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। प्रार्थी नेक नियती से अपना मुकदमा लड़ रहा है। अतः साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह को वास्ते जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2025.11.27 10:19:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में कुल चार अभियुक्तगण हैं तथा भिन्न–भिन्न अभियुक्तगण के अलग–अलग अधिवक्तागण हैं। साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–10 धर्मेन्द्र सिंह से अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह नहीं की गयी तथा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए उपरोक्त साक्षीगण से अभियुक्त सद्दाम का जिरह का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त का उद्देश्य येन–केन–प्रकारेण साक्ष्य की कार्यवाही को टालना तथा विचारण को विलम्बित करना है। अभियुक्त की ओर से जिरह न कर जिरह समाप्त होने पर रिकॉल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद को अनवरत् लम्बित रखने के आशय से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण काफी प्राचीन वर्ष 2015 का है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोगी मुकदमा नजाकत की ओर से लिखित तहरीरी सूचना थाना शेरकोट जिला बिजनौर को इस आशय की दी गयी कि ''दिनांक 17–07–2015 की रात करीब 9:30 बजे मेरा लड़का सद्दाम अपनी पत्नी श्रीमती शाहीन परवीन उर्फ शमा के साथ मोटर साईकिल से ईद की तैयारी की खरीदारी करके शेरकोट से गांव आ रहा थे। जब गूलर वाली जोहड़ी के पास आये तो मेरे गांव के ही रामफूल पुत्र शिखर चन्द्र, दीपक पुत्र रामफूल व भीम पुत्र टेकचन्द मिले और मोटर साईकिल रोककर दोनों को अपने हाथ में लिये तमंचों से गोली मार दी, जिससे सद्दाम की पत्नी मौके पर ही मर गई व सद्दाम गम्भीर रूप से घायल है। इस घटना को मेरे लड़के समीर उर्फ नेता व शहनसा उर्फ राजा जो पीछे–पीछे मोटर साईकिल से ही दूध बेचकर आ रहे थे, ने भी देखा है व मुल्जिमान को ललकारा तो ये फायर करते हुए भाग गये। अक्टूबर, 2015 में होने वाले पंचायत चुनाव में सद्दाम की पत्नी शाहिन परवीन उर्फ शमा जिला पंचायत सदस्य की भावी प्रत्याशी थी व इसी सीट पर रामफूल भी प्रत्याशी बन रहा था तथा वह पहले कई बार धमकिया दे चुका था व मुझे भी धमकी दी थी कि या तो चुनाव मत लड़ों वरना अन्जाम अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मुल्जिमान ने मेरे पुत्र व पुत्रवधू के साथ यह घटना की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।'' वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मुकदमा अपराध सं0 97/2015 धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बरामदगी के आधार पर नामित रामफूल, दीपक व भीम की नामजदगी झूठी पाते हुये, अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक कुमार सैनी के विरुद्ध धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

यहाँ धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधान का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है–

धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता– 'आवश्यक साक्षी का समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति– कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन

किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।' उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उसी दशा में किसी साक्षी को पुनः बुलाया जा सकता है जब न्यायालय को यह आवश्यक प्रतीत हो कि उस साक्षी की पुनः परीक्षा मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिये आवश्यक है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक कुमार सैनी के विरूद्ध धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। साक्षी पी0डब्लू0–1 नजाकत की मुख्य परीक्षा दिनांक 26–04–2016 एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 शहनशाह उर्फ राजा की मुख्य परीक्षा दिनांक 10–05–2016 को अंकित की गयी। वादी मुकदमा नजाकत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28–05–2016 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम को धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम के विरूद्ध धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त साक्षीगण पी0डब्लू0–1 नजाकत व पी0डब्लू0–2 शहनशाह उर्फ राजा को पुनः रिकॉल कर साक्ष्य अंकित किया गया। उसके पश्चात् साक्षीगण पी0डब्लू0–3 समीर मलिक, पी0डब्लू0–4 डा0 फकीरचन्द, पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह, पी0डब्लू0–7 एच0सी0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू0–8 उप–निरीक्षक प्रीतम सिंह एवं पी0डब्लू0–9 प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। साक्षी पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह की मुख्य परीक्षा दिनांक 06–06–2025 को अंकित की गयी, जिससे अभियुक्त अशोक कुमार सैनी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। अभियुक्तगण दीपक व रामफूल की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहते हुए जिरह नहीं की गयी कि इस साक्षी का सम्बन्ध उनके अभियुक्तगण से नहीं है इसलिए उन्हें जिरह नहीं करनी है। अभियुक्त सद्दाम की ओर से उक्त साक्षी से जिरह नहीं की गयी तथा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए साक्षी पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह से अभियुक्त सद्दाम का जिरह का अवसर समाप्त किया गया। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह की मुख्य परीक्षा दिनांक 18–06–2025 को अंकित की गयी। इस साक्षी से भी अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह नहीं की गयी और उक्त साक्षी से अभियुक्त सद्दाम का जिरह का अवसर समाप्त किया गया। दिनांक 16–10–2024 को साक्षी पी0डब्लू0–10 उप–निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह से भी अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह न करने के कारण उसकी जिरह का अवसर समाप्त किया गया। अतः स्पष्ट है कि अभियुक्त सद्दाम की ओर से बार–बार स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और जानबूझकर जिरह नहीं की गयी, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त सद्दाम का उपरोक्त साक्षीगण से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। वर्तमान में पत्रावली में अभियोजन पक्ष ने अपना सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर

दिया है। इस स्तर पर अत्यन्त विलम्ब से अभियुक्त सद्दाम की ओर से तीन गवाहों को रिकॉल कर उनसे जिरह का अवसर देने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि उसके अधिवक्ता की तबियत खराब होने एवं उसके अधिवक्ता के समक्ष विषम परिस्थितियां होने के कारण साक्षीगण पी0डब्लू0–5, पी0डब्लू0–6 एवं पी0डब्लू0–9 से जिरह नहीं हो सकी थी। प्रस्तुत मामला इस न्यायालय के अति प्राचीनतम वादों (सन् 2015) में से एक है और **एक्शन प्लान** के अन्तर्गत चिन्हित है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह नियत तिथियों को साक्ष्य हेतु उपस्थित रहे हैं, किन्तु उक्त साक्षीगण से अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह नहीं की गयी। यद्यपि कि अभियुक्त की ओर से साक्षीगण से जिरह करने में उपेक्षा बरती गयी है, किन्तु मामले के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु अभियुक्त को साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह से जिरह का **एक अवसर** दिया जाना आवश्यक व न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त सद्दाम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सद्दाम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–334 अंकन 10,000/– (दस हजार) रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। साक्षीगण पी0डब्लू0–5, पी0डब्लू0–6 व पी0डब्लू0–9 से अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह न करने के कारण जिरह का अवसर समाप्त करने का आदेश दिनांकित क्रमशः 06–06–2025, 18–06–2025 व 16–10–2025 रिकॉल कर अपास्त किया जाता है। अभियुक्त सद्दाम को साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह एवं पी0डब्लू0–9 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह से जिरह का एक अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त साक्षीगण पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह व पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह के उपस्थित होने पर उन्हें अभियुक्त द्वारा अंकन 3,000–3,000/– रुपये हर्जा प्रदान किया जाय। शेष हर्जे की धनराशि अंकन 4,000/– रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर में जमा करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त साक्षीगण से अभियुक्त सद्दाम की ओर से जिरह हेतु पत्रावली दिनॉक 02–12–2025 को पेश हो। साक्षीगण जरिये समन तलब हो।

दिनाँक 26–11–2025

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।